न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर,

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 07/2024

राजस्थान सरकार जरिये श्री नीरज जैन प्रवर्तन अधिकारी ....**प्रार्थी**

बनाम

श्री सुमेर सिंह पुत्र नंद राम प्रजापत निवासी घोसी कॉलोनी, नूर–ए–इलाही मस्जिद की गली, वांचू घोसी का मकान, अजमेर थाना गंज, अजमेर

........**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित ;... **1. श्री नीरज जैन प्रर्वतन अधिकारी** **पैरोकार सरकार**
2. श्री फिरोज खान **अभिभाषक अप्रार्थी**

आदेश दिनांक 09.10.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 24.01.2024 को अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायत के आधार पर जिला कलक्टर अजमेर के आदेशानुसार अप्रार्थी के मकान पर संयुक्त जांच दल पहुंचा। मौके पर अप्रार्थी के मकान में एक चबूतरे पर वाणिज्यिक तथा घरेलू गैस सिलेण्डर रखे पाए गये। जिसमें 17 गैस सिलेण्डर, 08 वाणिज्यिक सिलेण्डर एवं 09 धरेलू एल.पी.जी सिलेण्डर एवं एक गैस रिफिलिंग पाईप एवं 83 प्लास्टिक सीलें बीपीसीएल कम्पनी के व 35 बिना प्लास्टिक कैप भी पाये गये। जिनके सम्बन्ध में वरवक्त जांच अप्रार्थी ने कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों से वाणिज्यिक सिलेण्डरों में रिफिलिंग पाईप से गैस भरकर आस–पास के होटलों व ढाबों पर विक्रय करना बताया, उक्त सिलेण्डर व सामग्री को कब्जे राज लिये गये। जिन्हे राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। उभय पक्ष को सुनवाई चाहने पर प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रकट किया कि दिनांक 24.01.2024 को जिला कलेक्टर, अजमेर के आदेशानुसार अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायत पर श्री नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी, श्री हेमन्त कुमार आर्य, प्रवर्तन अधिकारी, श्री योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री अंकुश अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षक सहित संयुक्त जांच दल श्री सुमेर सिंह पुत्र नंद राम प्रजापत, घोसी कॉलोनी, नूर ए इलाही मस्जिद की गली, वांचू घोसी का मकान, अजमेर पर पहुँचे। अप्रार्थी के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी कि उसके द्वारा वाहनो में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग की जाती है। मौके पर जैसे ही जांच दल उक्त स्थान पर पहुँचा तो घर में प्रवेश करते ही भैंसो का तबेला दिखाई दिया, जिसमें एक चबूतरे पर वाणिज्यिक तथा घरेलू गैस सिलेण्डर रखे पाए गये। मौके पर श्री सुमेर सिंह उपस्थित मिले, जिन्होंने स्वयं को श्री नंद राम जाति प्रजापत का

जिला कलक्टर
अजमेर

पुत्र बताया और घरेलू गैस सिलेण्डरों से वाणिज्यिक सिलेण्डरों में रिफिलिंग पाईप से गैस भरकर आस–पास के होटलों व ढाबो पर विक्रय करना बताया। मौके पर श्री सुमेर सिंह ने बताया कि उक्त मकान में उसने एक कमरा किराये पर ले रखा है, जिसके सामने चबूतरा है। इस किराये के कमरे तथा चबूतरे पर पाये सभी घरेलू व वाणिज्यिक सिलेण्डर भरे पाए गए और बताया कि मौके से प्राप्त रिफिलिंग पाईप भी मेरा ही है। मै घरेलू 14.02 किग्रा भार क्षमता गैस वाले लाल सिलेण्डर विभिन्न गैस एजेन्सियों के डिलिवरी मैनों से 940/– रूपये प्रति सिलेण्डर के भाव से लेता हूॅ तथा वाणिज्यिक सिलेण्डरो में रिफिल करने के बाद 1900/– से 2000/– रूपये तक में बेचता हूॅ और घरेलू गैस सिलेण्डर 1000/– से 1050 रूपये तक में हलवाई का काम करने वालो को विक्रय करता हूँ। मैं यह कार्य लगभग एक से डेढ माह से कर रहा हूॅ। मै मूल रूप से अम्बेडकर कॉलोनी, कच्ची बस्ती, पसंद नगर, कोटडा, अजमेर का रहने वाला हूॅ। मौके पर एक नीले रंग का रिफिलिंग पाईप पाया गया, जिसके दोनो छोरो पर लोहे का रिफिलिंग यंत्र लगा पाया गया। मौके पर उक्त स्थान पर पास के कमरे में एक कट्टे में प्लास्टिक की सीले (ढक्कन) जिनकी गणना करने पर 83 प्लास्टिक के ढक्कन मय प्लास्टिक सीलें बीपीसीएल कम्पनी की प्राप्त हुई, जबकि बिना प्लास्टिक की 35 कैप (ढक्कन) प्राप्त हुए। मौके पर स्थान घनी आबादी क्षेत्र में स्थित है, जिससे किसी भी समय विस्फोट की स्थिति बन सकती है, इससे मानव जीवन को क्षति की प्रबल संभावना रहती है। मौके से प्राप्त सिलेण्डर तथा रिफिलिंग पाई व प्लास्टिक कैपो से अवैध रिफिलिंग किया जाना प्रमाणित होता है। मौके पर 08 वाणिज्यिक व 9 घरेलू गैस सिलेण्डर पाए गये जिसकी तलपट्टी पृथक से बनाई गई जिसमें सिलेण्डरवार विस्तृत विवरण दर्ज है। समस्त सिलेण्डरों में भण्डारित गैस का योग 167.9 किग्रा होता है जबकि नियमानुसार कोई भी व्यक्ति 100 किग्रा से अधिक गैस भण्डारण नहीं कर सकता है। मानव जीवन के लिए अत्यन्त घातक श्री सुमेर सिंह का यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों तथा एलपीजी आदेश 2000 की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः ऐसी स्थिति में 08 वाणिज्यिक सिलेण्डर एवं 09 घरेलू एल.पी.जी सिलेण्डर एवं एक गैस रिफिलिंग पाईप एवं 83 प्लास्टिक सीले बीपीसीएल कम्पनी के व 35 बिना प्लास्टिक कैप को राजहित में कब्जेराज लिया गया। जब्तशुदा 08 वाणिज्यिक सिलेण्डर एवं 09 घरेलू एल.पी.जी सिलेण्डर एवं एक गैस रिफिलिंग पाईप एवं 83 प्लास्टिक सीले बीपीसीएल कम्पनी के व 35 बिना प्लास्टिक कैप अग्रिम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु अमरदीप गैस एजेन्सी, अजमेर के कार्मिक श्री राहुल शर्मा को सुपुर्द किये गये। श्री सुमेर सिंह का यह कृत्य एलपीजी आर्डर 2000 के प्रावधानो क्लॉस 3 (1),(a)(c)(d)(e)3.3(a)(b)(c) 4.1(a)(b)(c),(d)(e) का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। अतः उक्त जब्तशुदा 08 वाणिज्यिक सिलेण्डर एवं 09 घरेलू एल.पी.जी के व एक गैस रिफिलिंग पाईप एवं 83 प्लास्टिक सीलें बीपीसीएल कम्पनी के व 35 बिना प्लास्टिक कैप को राजसात किये जाने के आदेश का श्रम फरमावें।

अप्रार्थी अभिभाषक ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि रसद विभाग अजमेर द्वारा मुझ प्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 24.01.2024 को कार्यवाही अमल में लाते हुए उक्त परिवाद मुझ प्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जो कि अविधिक होने के कारण निरस्त योग्य है। प्रार्थना पत्र के समस्त तथ्य मात्र काल्पनिक व गैर विधिक आधारो पर वर्णित किये गये है और बिना किसी साक्ष्य के आधार पर मुझ प्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। मुझ प्रार्थी द्वारा कभी भी अविधिक

जिला कलेक्टर
अजमेर

तरीके से वाणिज्यिक व घरेलू गैस सिलेण्डर जमा करके नहीं रखे गये है जबकि यहां यह कहना भी आवश्यक है कि मुझ प्रार्थी के रिश्तेदारी में शादी होने के कारण 8 व्यवसायिक सिलेण्डर मंगवाये गये थे जिन्हे रसद विभाग द्वारा अविधिक प्रकिया अपनाते हुए सीज किया गया है। मुझ प्रार्थी द्वारा कभी भी ना तो अवैध गैस रिफलिंग की गयी ना ही मौके पर अवैध रिफलिंग पाई गयी है ना ही आस पडौस के व्यक्ति ने अवैध रिफलिंग की ताईद की है इस आधार पर मुझ प्रार्थी के विरूद्ध अवैध रिफलिंग के आधार पर पेश किया गया परिवाद निरस्त किया जाकर मुझ प्रार्थी के 8 व्यवसायिक सिलेण्डर देने के आदेश न्यायहित में पारित करे।

हमनें उभय पक्षो की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। फर्दमौका रिपोर्ट, फर्द जब्ती के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी द्वारा अपने फर्द मौका जब्ती मे घरेलू गैस सिलेण्डरों से वाणिज्यिक सिलेण्डरों में रिफिलिंग पाईप से गैस भरकर आस–पास के होटलों व ढाबो पर विक्रय करना बताया अप्रार्थी द्वारा न तो जांच दल के समक्ष कोई विधि सम्मत दस्तावेज प्रस्तुत किये व न ही इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। अप्रार्थी द्वारा अपने स्थल पर घरेलू एलपीजी गैस का व्यवसायिक दुरूपयोग कर एलपीजी आर्डर 2000 के प्रावधानो क्लॉस 3 (1),(a)(c)(d)(e),3.3 (a)(b)(c) 4.1,(a)(b)(c),(d)(e) का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। अतः कब्जेराज लिये गये निम्नांकित सिलेण्डरः–

क्र.सं.	सिलेण्डर का एस.आर. क्रमांक	खाली सिलेण्डर का उपदर्शित भार/टेयर वेट किग्रा में	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एल.पी.जी. किग्रा में	शुद्ध गैस का भार किग्रा में
1	765150	15.08	30	14.2
2	11048	16.4	30	13.6
3	095498	16.5	30.5	14
4	033098	16.9	30.5	13.6
5	305421	16.1	30.1	14
6	460630	15.7	29.8	14.1
7	304750	16.6	30	13.4
8	030989	15.3	29.6	14.3
9	053938	15.6	30	14.4
10	1970036	19.7	35.5	15.8
11	201231	19.5	37	17.5
12	008795	19.2	20.2	01
13	003850	19.3	20.3	01
14	017173	19.2	20.2	01
15	77959	19.1	20.1	01
16	193383	19.3	20.3	01
17	175682	16	20	04
				167.9
		कुल		

आठ वाणिज्यिक सिलेण्डर एवं नौ घरेलु एल.पी.जी सिलेण्डर कुल 17 सिलेण्डरो में भण्डारित गैस 167.9 किग्रा, एक गैस रिफिलिंग पाईप एवं 83 प्लास्टिक सीलें बीपीसीएल

जिला कलक्टर
अजमेर

कम्पनी के व 35 बिना प्लास्टिक कैप को राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त राजसात किये गये सिलेण्डरों को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 09.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर